



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238355
CG-DL-E-24082022-238355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944

No. 575]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 651(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानसिक रोग अस्पताल, रांची (वर्ग III और वर्ग IV पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	4* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण और सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ एक वर्ष का सुसंगत अनुभव। वांछनीय: सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में बैचलर डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25500-81100 रुपये) वाले पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1) निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2) चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची या प्रोफेसर, भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फ़ा. सं. ए.12018/32/2017-एमई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2022.

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hospital for Mental Diseases Ranchi (Recruitment to class III and class IV posts) Rules, 1959, in so far as it relates to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Medical Laboratory Technologist.	4* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200 – 92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
12 th class pass from a recognised Board with Science subjects and Diploma in Medical Laboratory Technology from any Government recognised institution with one year relevant	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central

experience. Desirable: Bachelor Degree in Medical Laboratory Science from any Government recognised institution or University. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		probation as prescribed by the Central Government.	Government or States Government or Union territories, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the post in level -4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
--	--	---	---

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Chairman; 2. Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi or Professor, Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi -Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/32/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.